झुग्गी बस्तियों पर लटकी है तोड़फोड़ की तलवार

फ़रीदाबाद (म.मो) सेक्टर 24 स्थित रेलवे लाइन के किनारे बसी आजादनगर झुग्गी बस्ती व न्यू टाउन स्टेशन के पास कालोनी सहित कई रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गी बस्तियों पर तोड़फोड़ की तलवार लटकी हुई है।

इन झुग्गी बस्तियों में आजादनगर झुग्गी बस्ती सबसे बड़ी है जो कि 40 वर्षों से अधिक से बसी है। रेलवे प्रशासन चौथी लाईन बिछाने के लिये रेलवे की ज़मीन पर स्थित इन झुग्गी बस्तियों को खाली करवाना चाहता है। पिछले एक वर्ष से लगातार झुग्गी वासी तोड़-फोड़ को लेकर लगातार भय के साये में जी रहे हैं।

दरअसल आजादी के बाद जब फ़रीदाबाद की औद्योगिक केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया तो मज़दूरों के रहने की कोई व्यवस्था न तो सरकार ने की न उद्योगपतियों ने। श्रम कानूनों के मुताबिक मज़दूरों के लिये आवास की सुविधा प्रदान करना नियोक्ता का दायित्व था लेकिन इस क्षेत्र में एक से एक नामी गिरामी कंपनियां आयीं लेकिन उन्होंने मज़दूरों के आवास की कोई व्यवस्था नहीं की। आज यहां 20 हज़ार के आसपास बड़ी व मझोली औद्योगिक इकाइयां है जहां बेहद सस्ते श्रम की लूट होती है। लेकिन कोई भी औद्योगिक इकाई, चन्द एक पुरानी यूनीयनीकृत कंपनियों को छोड़ कर, न्यूनतम वेतन (हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित) देने को तैयार नहीं हैं। एसे में मज़दूर रेलवे पटरी व गंदे नालों के किनारे बसने को मज़बूर हुए। कठोर श्रम, न्यूनतम वेतन, खतरनाक कार्यवरिस्थितियां व नारकीय जीवन इन मज़दूरों के जीवन की स्थायी पहचान बन गयी। इनके अमानवीय व क्रूर शोषण के दम पर पूंजीपतियों ने करोड़ों-अरबों के मुनाफ़े कमाये। कुछ हज़ार या लाख को पूंजी से कम शुरू करने वाली कपनियां करोड़ों की पूंजी व दर्जनों प्लांटों वाले कंपनियां बन गयीं, लेकिन मज़दूर की अधिकांश आबादी दशकों तक रेलवे पटरी के किनारे रहने को अभिशप्त रही।

विगत वर्ष जब चौथी लाईन को बिछाने का शोर जोर पर था तो बस्ती के मज़दूरों ने व्यापक प्रदर्शन व आंदोलन किए। मज़दूरों की सभाओं में आकर स्थानीय विधायिका व अन्य नेताओं को स्थायी आवास की गारंटी दी। रेलवे की चौथी लाईन से विस्थापित होने वाले मज़दूरों को अस्थायी तौर पर कही, और बसाने और बाद में स्थायी आवास देने की बात विधायिका शारदा राठौर ने की। जनता के आन्दोलन के दबाव में तात्कालिक तौर पर रेलवे ने अपना कार्य स्थगित कर दिया। बाद में रेलवे ने 15 मीटर तक का क्षेत्र खाली कराने की बात की। इस बात ने झुग्गी बस्ती आजादनगर के लोगों में विभाजन पैदा कर दिया। जिन लोगों के मकान तोड़फोड़ के दायरे में नहीं आ रहे थे उन्होंने खुद को पूरे मामले से अलग कर दिया। इंकलाबी मज़दूर केन्द्र ने नुक्कड़ सभायें व पर्चा निकालकर झुग्गी वासियों को आगाह किया कि यह प्रशासन व सरकार व रेलवे द्वारा उनमें फूट डालकर टुकड़ों-टुकड़ों में निपटने की एक चाल है।

इस बीच रेलवे प्रशासन ने चौथी लाईन का काम तेजी से आगे बढ़ाया। बस्ती में एक सिरे पर जहां खाली ज़मीन थी रेलवे ने मिट्टी डालना व एक नाली खुदवाना शुरू कर दिया। रेलवे द्वारा 15 मीटर के दायरे में पड़ने वाले मकानों की निशानदेही कर उन्हें तोड़ने का काम शुरू कर दिया, जिसपर इंकलाबी मज़दूर केन्द्र के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपनी कार्यवाही रोकनी पड़ी। इस बीच बस्ती के कुछ स्वनामधन्य नेताओं ने मज़दूरों को किराये पर लगाई अपनी कुछ झुग्गियां तोड़कर बाकी को भी ऐसा ही करने को कहा। झुग्गी वासियों को खौफ दिखाया गया कि वे ऐसा नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने पर पुलिस बल बुलाकर तोंड़-फोड़ की जायेगी।

स्थानीय समाचार पत्रों में 22 फरवरी को रेलवे द्वारा बस्ती में तोड़-फोड़ करने की खबर के बाद झुग्गीवासियों में बेचैनी बढ गयी है। स्थानीय विधायिका से लेकर सांसद तक लोगों का प्रतिनिधि मंडल हो आया लेकिन कोई ठोस आश्वासन तो दूर वे अपने पूर्व में किए वायदों से भी फिरने लगे।

ऐसे में झुग्गी वासियों में आक्रोश निराशा व बेचैनी बढ़ती जा रही है। फिलहाल एक 'झुग्गी बचाओ कमेटी' बनाकर एक बड़ा आन्दोलन खड़ा करने को कोशिशें हो रही हैं लेकिन वे स्थानीय नेताओं के अंतर्विरोधों के चलते इसकी सक्रियता धीमी है। लेकिन वक्त करीब आने के साथ झुग्गी के लोगों की व्याकुलता व बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस बीच रेलवे विभाग में बस्ती में तोड़-फोड़ के लिये गिराये जाने वाले मकानों को दुबारा निशानदेही करते हुए कई मकानों पर लाल रंग का निशान बना दिया। समय-समय पर इस मज़दूर बस्ती में आकर बस्ती वासियों को पक्का मकान दिलाने तथा रेलवे परियोजना के चलते विस्थापित होने से पहले अस्थाई बंदोबस्त करने की बात करने वाली क्षेत्रीय विधायिका अब झुग्गी वासियों से कोई स्पष्ट बात नहीं कर रही है।

पटरी किनारे से हटकर उन्हें नहर (नाले) के किनारे बसने की हिदायत दे रही है जबकि वह ज़मीन भी राजस्थान सरकार के अंतर्गत है। यानी एक नर्क से उजाड़कर दूसरे नर्क में धकेलना यही तथा कथित जन प्रतिनिधियों के पास जनता की समस्याओं का समाधान है। कुल मिलाकर जनता में बेचैनी बढ़ने के साथ आक्रोश बढ़ रहा है। अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण क्षणों में जनता सभी अपने परायों को परख रही है। जैसा रहीम ने कहा है- 'रहिमन विपदा हूं भली, जो थेड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में , जानी पड़त सब कोय।'

इस बीच इंकलाबी मज़दूर केन्द्र ने जनता की पहल कदमी को खोलते हुए तोड़-फोड़ शुरू किए जाने वाले मार्ग के पास अपना धरना कार्यक्रम शुरू किया है। रेलवें का यह अभियान किस हद तक तोड़-फोड़ करेगा ? किस हद तक पुनर्वासन की प्रक्रिया लागू होगी। यह सब जनता की संघर्ष शक्ति पर निर्भर करेगा।

-नागेन्द्र मनर

जज साहब हमारी भी सुनिये

सेवायें,

मुख्य न्यायधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार नई दिल्ली,

महोदय,

निवेदन है कि हम सभी याचिका कर्ता धारा 125 के अन्तगर्त लम्बे समय से जेल में बन्द हैं। प्रतिमास हमे जेल से न्यायालय में माननीय न्यायधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है श्वयम् हमसे न्यायधीश महोदय यह प्रश्न करते हैं कि हम पत्नी को देने के लिये गुजारा-भत्ता के पैसे लाए हैं अथवा नहीं ? क्योंकि हमे जेल से सीधे अदालत में ले जाया जाता है तो हमारे पास कोर्ट में देने को पैसा कहां से आ पायेगा ? यही क्रम काफ़ी लम्बे समय से चल रहा है जिससे गुजारा-भत्ते की रकम प्रतिमाह ज्यादा बढ़ जाती है।

हम सभी याचिका कर्ता निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं-

1. भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक अपराध की एक सज़ा निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति धारा 125 के अन्तर्गत गुज़ारा भत्ता देने में असमर्थ है और इस प्रकार यदि वह अपराधी सिद्ध होता है तो उसे भी एक निश्चित सज़ा क्यों नही ? क्यों प्रतिमाह उसे जेल से न्यायालय एवम न्यायालय से जेल भेजा जाता है।

2. आज कल धारा 125 के केस बहुतायत में बढ़ रहे है। दिन-प्रतिदिन इस धारा के अन्तर्गत कैदियों की संख्या बढ़ रही है। जिस कारण उस व्यक्ति के जेल में बन्द होने के कारण उसके ऊपर आश्रित परिवार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के परिवार का क्या होगा ?

3. आजकल प्राय: देखने में आता है कि विवाहित महिला धारा 125 तथा 498 ए का अति दुरूपयोग कर रही हैं। घर में छोटी-छोटी बातों के कारण अनबन होने पर कोर्ट में स्वयम पुलिस में जाने की धमकी देती है, एवम् एक दिन कोर्ट पहुंच ही जाती है। दैनिक मज़दूरी करने वाला व्यक्ति अथवा अति निम्न आय वाला व्यक्ति या सेवानिवृत्त व्यक्ति जिसकी आय का कोई निश्चित साधन नही हो, वह किस प्रकार कोर्ट कचहरी में वकील का खर्च एवम् पत्नी का खर्च वहन कर सकता है ?

4. हम सभी याचिका कर्त्ता आपसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा केस एक सिविल सूट है, अत: मानवीय आधार पर इस विषय में एक पक्षीय दृष्टिकोण न रखते हुए दोनों पक्षों पर मानवीय एवम् विस्तृत रूप से विचार किया जाये।

पत्नी कोर्ट के माध्यम से खर्चा तो बंधवा लेती है, किन्तु न तो पति के साथ रहती है न हि उससे सम्बन्ध विच्छेद करती है। ऐसी स्थिति में पत्नी के अडियल स्वभाव के कारण क्या पति का जीवन बर्बाद नहीं होता ? क्या पति को जीने का अधिकार नहीं है ? क्या उसने केवल इस लिए विवाह किया है कि वह पत्नी को गुजारा भत्ता देता रहे जो कि उसके साथ रहना भी पसन्द नही करती। जबकि पति उसे रखने को तैयार है।

धारा 125 के अन्तर्गत 25 वर्ष की आयु से लेकर 60-65 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति जेल में बन्द हैं।

जो व्यक्ति 60-65 वर्ष की आयु में किसी और पर आश्रित हो वह कैसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे सकता है ?

अत: हम सभी आपसे एक बार पुन: अनुरोध करते हैं कि हम सभी को जो धारा 125 के अन्तर्गत जेल में लम्बे समय से बन्द है खर्चा न देने की स्थिति में अन्य कैदियों की तरह एक निश्चित सजा दे दी जाए। अन्यथा पारिवारिक आधार पर ही इस प्रकार के विवादों का समाधान निकालने का सार्थक प्रयास किया जाए। हमे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखते हुए एवम् यथार्थ को समझते हुए हमारी समस्या के ऊपर यथाशीघ्र विचार-विमर्श किया जाए ताकि हम भी स्वतन्त्र वातावरण में जी सकें।

आपकी अति कृपा होगी

प्रार्थी

'समस्त याचिका कर्ता'

1. देवेन्द्र आर्य श्री निर्भय सिंह
2. मनविन्दर सिंह श्री सखपाल
3. अशोक कुमार श्री कीर्तिचन्द्र
4. दिनेश कुमार श्री त्रिलोकी नाथ

किसका नुकसान

गायत्री आर्य

लेकिन गरीबों, मज़दूरों और साधारण लोगों के पास खोने के लिए विकास, सेंसेक्स, सुविधाएं, खुशियां, योजनाएं या जश्न नहीं हैं। उनके पास खोने के लिये सिर्फ भूख, तंगी, असुविधाएं, संत्रास, घुटन, बेचैनी, तकलीफ़, यंत्रणा, आंसू और मजबूरी हैं। वे अगर अपना कुछ खोते हैं तो सिर्फ सुविधा, सुकून, हंसी, खुशी, और न्याय पाने के लिए बढ़ेंगे। आजादी के बाद से सबसे बड़ी मानी जा रही मज़दूरों की सिर्फ दो दिन की देशव्यापी हड़ताल से पूरा देश हांफ गया है। अगर हालात नहीं बदलते तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिये भी एकजुट हो जाएं।

हाल के कुछ चर्चित घोटालों की सूची में पांच बड़े घोटालों की रकम कुल पौने छह लाख करोड़ के आसपास बैठती है। कुछ दिन पहले हुई दो दिन की देशव्यापी हड़ताल से 26 हज़ार करोड़ का घाटा होने की बात ऐसोचैम ने कही है। आश्चर्य है कि सिर्फ पांच घोटालों में पौने छह लाख करोड़ का घाटा झेल कर देश बिना चूं किए चल रहा है, लेकिन छब्बीस हजार करोड़ का घाटा देश और देशवासियों को हलकान कर दे रहा है।

मज़दूरों और कर्मचारियों को एक सिरे से देश का घाटा कराने और पूरे देश के लोगों को असुविधा में डालने के लिये दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन आज तक किसी अखबार या टीवी चैनल ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि देश भर के लगभग चालीस करोड़ मज़दूरों को कितना घाटा हुआ, कितनी असुविधा हुई। कुल कितने नवजात शिशु और मांएं सही इलाज डॉक्टर और दवा के अभाव में मर गए; कितने पुरुष-स्त्री, लड़के-लड़कियां, बच्चे-बूढ़े, युवक, किशोर हर साल भरपेट खाना, साफ पानी या दवा के अभाव में तो कभी बाढ़, सूखे, ठंड और गर्मी के चलते सालों साल मरते जा रहे हैं; कितने सपने, नन्ही-नन्ही ख्वाहिशें और अरमान हैं, जो पेट भरने की मज़बूरी के कारण हमेशा कुचले गए हैं; इनके तमाम त्योहार किस मायूसी और फीकेपन से बीतते हैं... । इन सबकी खबर मीडिया कभी नहीं देता। हर रोज अखबार और समाचार चैनलों पर सोने-चांदी और सेंसेक्स के उतार-चढ़ाव की विस्तार से ख़बर आती है। लेकिन पूरे देश के मज़दूरों की खुशियों का ग्राफ किस तेजी से गिर रहा है और समस्याओं, तकलीफों और आक्रोश का ग्राफ किस तेजी से बढ़ रहा है, इसकी खबर कोई नहीं देता।

किसी भी स्तर पर इस हड़ताल को इस तरह से सामने नहीं लाया गया कि आज तक इन करोड़ों मज़दूरों ने हमारे लिये, देश और उसके विकास की खातिर चुपचाप अपनी बुनियादी जरूरतों तक को छोड़ा है। क्या आज तक खाता-पीता मध्यवर्ग, युवा वर्ग, पैसे वाले लोग या मीडिया कभी इन चालीस करोड़ लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर उतरा है ?

कुछ लोग और मीडिया मज़दूरों द्वारा की गई हिंसा को कोस रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हिंसा सिर्फ वही है जो मज़दूरों ने की ? क्या समूचे देश और राज्य की सरकारों द्वारा जो घोटाले, जल-जंगल और ज़मीन के अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जन विरोधी नीतियां बनाई जा रही है, वह हिंसा नहीं है ? आबादी के सबसे बड़े हिस्से को उसकी मूलभूत जरूरतों से वंचित रखना क्यों हिंसा नहीं हैं ? किसान, मज़दूरों और गरीबों की घोर तकलीफ़ की कीमत पर पैसे वालों को सुविधा देना क्या हिंसा नहीं है ? हिंसा सिर्फ वही नहीं है, जो एक झटके में होती है और जो आम आदमी अपने सामने विकल्पहीनता में करता है। बल्कि वह भी हिंसा है जो धीरे-धीरे हलाल करके सरकारें कर रही हैं। सन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने और चौदह फरवरी 2013 को कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हड़ताल के दौरान संपत्ति को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हड़तालियों से ही की जानी चाहिए। लेकिन मज़दूरों को हुए करोड़ों-अरबों रुपये के नुकसान की भरपाई कौन करेगा ?

दो दिन में हमारा विकास रुक गया, करोड़ों का घाटा हो गया, विकास दर ठिठक गई, सुविधाएं लड़खड़ा गईं, खुशियों का पारा गिर गया, सेंसेक्स लुढ़क गया, जश्न में खलल पड़ गया, योजनाएं धवस्त हो गई... ! लेकिन गरीबों, मज़दूरों और साधारण लोगों के पास खोने के लिए विकास, सेंसेक्स, सुविधाएं, खुशियां, योजनाएं या जश्न नहीं हैं। उनके पास खोने के लिये सिर्फ भूख, तंगी, असुविधाएं, संत्रास, घुटन, बेचैनी, तकलीफ़, यंत्रणा, आंसू और मजबूरी हैं। वे अगर अपना कुछ खोते हैं तो सिर्फ सुविधा, सुकून, हंसी, खुशी, और न्याय पाने के लिए बढ़ेंगे। आजादी के बाद से सबसे बड़ी मानी जा रही मज़दूरों की सिर्फ दो दिन की देशव्यापी हड़ताल से पूरा देश हांफ गया है। अगर हालात नहीं बदलते तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिये भी एकजुट हो जाएं।